हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

द्वितीय सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 10

मंगलवार, 13 मार्च, 2018/22 फाल्गुन, 1939(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में 11.00 बजे (पूर्वाह्न) आरम्भ हुई।

1. **<u>प्रश्नोत्तरः</u>**

(I) **तारांकित प्रश्नः**

तारांकित प्रश्न संख्याः 63 से 70 तक के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिये गये। तारांकित प्रश्न संख्या 71 से 78 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गये।

(II) **अतारांकित प्रश्नः**

अतारांकित प्रश्न संख्याः 7 से 9 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

<u>माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणा</u>

"विगत दो वर्षो से लोक सभा में लोक सभा अध्यक्षा महोदय ने एक रेफरेंस सेक्शन माननीय सदस्यों के लिए प्रारम्भ किया है और हमने भी देखा, अति उपयोगी रेफरेंस सेक्शन है। हमारे पास उस प्रकार की बहुत सुचारू व्यवस्था नहीं है। परन्तु पिछले एक सप्ताह में प्रयास करके हमारी जो विधान सभा की लाईब्रेरी है उसमें एक रेफरेंस सेक्शन क्रिएट

किया है। कोई भी माननीय सदस्य यदि किसी विशेष विषय पर बोलना चाहता हैं और लाईब्रेरी में 24 घंटे पहले कोई नोटिस देते हैं तो प्रयास करेंगे कि उनको उससे संबंधित जानकारी लाइब्रेरी से या नेट के माध्यम से निकाल करके उपलब्ध करवाई जाए ताकि बोलने वाले सदस्य को सुविधा रहे। यह नया प्रयास है, इसमें कुछ कमी रह सकती है, उसके लिए माननीय सदस्यों के सुझाव सदैव आमंत्रित होंगे।"

2. कागज़ात सभा पटल परः

(1) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, इन्कर, वर्ग-III(अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःमुद्रण(बी)2-25/97 दिनांक 15.09.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 22.11.2017 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखी।

(2) **डॉ0 राम लाल मारकण्डा, कृषि मन्त्री** ने नियंत्रक महालेखापरीक्षक (डी0पी0सी0) अधिनियम, 1971 की धारा 19(ए) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम सीमित का 33वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2016-17 की प्रति सभा पटल पर रखी।

(3) **श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, वन मन्त्री** ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित का 41वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2014-15 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बजट अनुमान-सामान्य चर्चाः

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लियाः-

1. श्री नरेन्द्र बरागटा
2. श्री राम लाल ठाकुर
3. श्री सुख राम

(सदन की बैठक अपराह्न 1.25 बजे दोपहर के भोजनावकाश के लिए अपराह्न 2.30 बजे तक स्थगित हुई)।

(सदन की बैठक भोजनावकाश के पश्चात् अपराह्न 2.30 बजे माननीय अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)।

4. श्री जगत सिंह नेगी

   (श्री जगत सिंह नेगी, सदस्य ने बजट तथा जिला किन्नौर में प्रोजैक्ट एडवाज़री कमेटी के चेयरमैन, विधायक को हटाकर डी.सी. को नियुक्त करने के विरोध में सदन से वाकआऊट किया।)

5. श्री विनोद कुमार
6. श्री होशयार सिंह
7. श्री बिक्रम सिंह जरयाल
8. श्रीमती आशा कुमारी

   श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मंत्री द्वारा हस्तक्षेप

   (सायं 4.10 बजे श्री जगत सिंह नेगी, सदस्य सदन में पुनः उपस्थित हुए)

9. श्री बलबीर सिंह

   (सायं 5.00 बजे सदन की बैठक सायं 5.30 बजे तक बढ़ाई गई)

10. श्री राकेश सिंघा

सदन की बैठक सायं 5.30 बजे बुधवार, दिनांक 14 मार्च, 2018 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित हुई ।